



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 24.05.2026

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/2026 धारा 61(2)/69 बी0एन0एस0 में
वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.मौ0 कैफ उर्फ रितिक पुत्र मकसूद अहमद निवासी सब्दलपुर रहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा अपनी पहचान छुपाकर वादी की पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया । उक्त कृत्य में अभियुक्त का साथी 2.जीशान पुत्र युनूस निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर बिजनौर भी शामिल रहा । प्राप्त तहरीर के आधार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर पर मु0अ0सं0 114/2026 धारा 61(2)/69 बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

आज थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त जीशान पुत्र युनूस निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

अभियुक्त का नाम व पता-

जीशान पुत्र युनूस निवासी दारानगर गंज, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त जीशान का अपराधिक इतिहास - .

- 1.मु0अ0सं0 114/2026 धारा 61(2)/69 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 854/2025 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली शहर बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 श्री अनिल कुमार का0 2426 देशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 3- का0 1168 आकाश तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 4- का0 1169 मनीष कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 5- का0 1169 मनीष कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 6- का0 2426 देशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना कोतवाली शहर

दिनांक 25.05.2026

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 386/2026 धारा 64(2)(m)/351(2) बी0एन0एस0 व 5(L)/6

पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.05.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.हर्ष पुत्र नामालूम निवासी मौ0 काजीपाड़ा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का पीछा करके वादी की पुत्री की वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर पर मु0अ0स0 386/2026 धारा 78/351(2) बी0एन0एस0 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम हर्ष आदि पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 78 बीएनएस का विलोपन करते हुये धारा 64(2)(M)/ व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हर्ष सैनी पुत्र हरिराम सैनी निवासी ग्राम मौ0 काजीपाड़ा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाईल आईफोन 13 PRO बरामद हुआ । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्ष सैनी पुत्र हरिराम सैनी निवासी ग्राम मौ0 काजीपाड़ा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी-

एक मोबाईल आईफोन 13 PRO

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 मोहित कुमार कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 850 राहुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 119 अरशद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना स्योहारा

दिनांक 24.05.2026

थाना स्योहारा पुलिस मु0अ0स0 187/26 धारा 85/103(1)/238(क) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.04.26 को वादी सतवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम अनवरपुर चंडिका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1-सुनील कुमार पुत्र हीरा सिंह 2-जोगेन्द्र पुत्र हीरा सिंह 3-धर्मेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासीगण ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी गयी प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 187/2026 धारा 85/103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे नामित अभियुक्त सुनील पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

कार्यवाही-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण अभियुक्त 1-जोगेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा स्योहारा जनपद बिजनौर 2- धर्मेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता -

- 1-जोगेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2- धर्मेन्द्र पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

जोगेन्द्र उपरोक्त

मु0अ0स0- 335/25 धारा 333/351(3)/74/76 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

धर्मेन्द्र उपरोक्त

निल

पुलिस टीम -

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.हे0का0 552 मनोज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 4.हे0का0 157 सरित थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 1131 विपिन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद-बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नहतौर

दिनांक 24.05.2026

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 में वाछिंत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2026 को वादी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह (प्रभारी निरीक्षक) थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 बनाम – 1. मौ0 मुनव्वर मिर्जा पुत्र याकूब मिर्जा निवासी मौ0 पीरजागदान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2. दानिश अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर जनपद बिजनौर हाल पता मौ0 हाथीवाला मन्दिर कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर व 3. सलीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही विवरण -

आज थाना नहतौर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वाछिंत अभियुक्तगण 1. मौ0 मुनव्वर मिर्जा पुत्र याकूब मिर्जा निवासी मौ0 पीरजागदान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 2. सलीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौ0 मुनव्वर मिर्जा पुत्र याकूब मिर्जा निवासी मौ0 पीरजागदान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. सलीम अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मौ0 पीरजादगान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 मौ0 मुनव्वर मिर्जा उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 575/2023 धारा 420/406/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 208/2024 धारा 420/406 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 565/2023 धारा 420/323/504/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 546/2023 धारा 420/406 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि० सलीम अहमद उपरोक्त –

1. मु०अ०सं० 167/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 575/2023 धारा 420/406/506 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. निर०अपराध श्री विपिन कुमार, थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का० 227 सचिन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
4. का० 695 नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
5. का० 2609 दिनेश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 23.05.2026

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 89 /26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

वादी श्री विमल कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गई की उसकी बाइक सुपर स्पलेण्डर UP20BM3574 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 89/26 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण

आज थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्त अरबाज पुत्र मौ0 इलियास निवासी मौहल्ला लकडी पडाव थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड को चोरी की गई बाइक सुपर स्पलेण्डर UP20BM3574 सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरबाज पुत्र मौ0 इलियास निवासी मौहल्ला लकडी पडाव थाना कोटद्वार जनपद पौढीगढवाल उत्तराखण्ड

बरामदगी-

चोरी की एक बाईक सुपर स्पलेण्डर UP 20 BM 3574 चैचिस न0 MBLJAW099K9C62698 व इंजन नम्बर JA05EJK9C29043

अभियुक्त का अपराधिक एतिहास

1. मु0अ0सं0 89/26 धारा 303(2) 317(2) BNS थाना नगीना देहात बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 49/19 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नगीना देहात बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 74/22 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 75/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 160/22 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना देहात बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 162/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री नितेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।
2. है0का0 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात बिजनौर।
3. का0 2523 सन्दीप कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।
4. का0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात बिजनौर।
5. का0 1926 राहुल कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा

दिनांक- 24.05.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 191/26 धारा

132/131/191(1)/191(2)/115(2)/352/351(3)/126(1)बीएनएस से संबंधित 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2026 को वादी उ0नि0 श्री शिवानैन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर की तहरीर पर थाना स्योहारा पर दो पक्षों के मध्य गाली-गलौच / मारपीट व जान से मारने की धमकी देने तथा सडक यातायात को अवरोध करने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में मु0अ0स0 191/26 धारा 132/131/191(1)/191(2)/115(2)/352/351(3)/126(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण- 1. रोहित पुत्र धनपाल, 2- सौरभ पुत्र रिकू, 3-राजा पुत्र भारत सिंह, 4-नवीन पुत्र रामपाल, 5- आकाश पुत्र ललित उर्फ रवि, 6-शुभम पुत्र पप्पू, 7- रोकी पुत्र मनोहर सिंह, 8-गौरव पुत्र मनोज समस्त निवासीगण मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । अभियोग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता:-

- 1 - रोहित पुत्र धनपाल निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2- सौरभ पुत्र रिकू निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3-राजा पुत्र भारत सिंह निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4-नवीन पुत्र रामपाल निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5- आकाश पुत्र ललित उर्फ रवि निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 6-शुभम पुत्र पप्पू निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 7- रोकी पुत्र मनोहर सिंह निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 8-गौरव पुत्र मनोज निवासी मौ0 वाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 786 नवीन जोशी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4. का0 1650 अमजद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
5. का0 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
6. का0 1386 अंकुश सिरोहा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।